न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 2062 / 2004 / पाली

नाथाराम (मृतक) पुत्र राजा, जाति मेघवाल, जरिये वारिसान :–
1– मु. गजरो बाई बेवा नाथाराम
2– मु. चमनी पुत्री नाथाराम पत्नि चुन्नीलाल मेघवाल, रानी गांव बडी, तहसील देसुरी जिला पाली।
3– शेषारामपुत्र नाथाराम, जाति मेघवाल गांव बिजोवा तहसील देसूरी जिला पाली।
4– धन्नाराम पुत्र नाथाराम, जाति मेघवाल गांव बिजोवा तहसील देसूरी जिला पाली।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– रतनलाल उर्फ रतन कुमार पुत्र तेजराज
2– रमेश कुमार उर्फ रमेश लाला पुत्र तेजराज
3– अशोक कुमार पुत्र तेजराज
4– माणक चन्द उर्फ माणिक पुत्र तेजराज
समस्त जाति कोठारी, महाजन जैन, निवासीगण बिजोवा, तहसील देसूरी जिला पाली।
5– दाखू देवी पत्नि सेसाराम, जाति सीरवी, निवासी बिजोवा तहसील देसूरी जिला पाली।
6– राजस्थान सरकार।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री ओंकार लाल दवे, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 17 सितम्बर, 2018

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 6–9–1982 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अपील / एल.आर. / 2062 / 2004 / पाली

नाथाराम (मृतक) जरिये वारिसान बनाम रतनलाल उर्फ रतन कुमार व अन्य

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार खसरा नम्बर–360/3 वाके गांव बिजोवा रकबा 5 बीघा पर अपीलान्ट का शुरू से ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और अपने परिवार का भरण पोषण पिछले 50 वर्षो से इस आराजी से कर रहा है। प्रार्थी को इस संबंध में धारा–91 एल.आर. एक्ट के नोटिस भी मिलते रहे हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 लगायत 4 के पिता तेजराज जो गांव के बहुत ही होशियार एवं जाने माने व्यक्ति थे। उन्होंने प्रार्थी से खाली कागजों एवं स्टाम्प पेपर पर यह कह कर हस्ताक्षर करवा लिये कि प्रार्थी के नाम आराजी का आवंटन / नियमन करवा देंगे। लेकिन कागजों का दुरूपयोग करके आराजी खसरा नम्बर–360/3 रकबा 5 बीघा का आवंटन अपने नाम करवा लिया तथा अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में कभी भी इसकी भनक तक पडने नहीं दिया। इस आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार देसूरी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनाथ भूमि आवंटन) नियम–1970 के नियम–14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन आवंटन नियमों के विरूद्ध होना बताते हुये इस आवंटन को निरस्त करने के लिये प्रार्थना की। जिसे विद्वान जिला कलेक्टर, पाली ने राजस्व मुकदमा संख्या–488/1979 कायम करते हुये सुनवाई के पश्चात दिनांक 30–3–1981 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 लगायत 4 के पिता तेजराज पुत्र अन्नराज ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। इस अपील में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया और तेजराज कोठारी द्वारा प्रस्तुत इस अपील को विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, रंगरूपमल कोठारी ने दिनांक 6–9–1982 को स्वीकार कर लिया। जिसके आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 ने इस भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16–3–2004 के द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 को विक्रय कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 के पति सेसाराम ने प्रार्थी को दिनांक 15–4–2004 को यह आराजी क्रय करना बताया तथा आराजी का कब्जा उन्हें दे दिया जावे। अपीलान्ट ने जानकारी की तो तेजराज के हक में हुये आवंटन और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कृषि भूमि आवंटन अधिनियम, 1970 के नियम–14(4) एवं विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 6–9–1982 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि रेस्पोन्डेन्ट के पिता तेजराज द्वारा वर्ष 1968 में आवंटन करवाया था। तहसीलदार के द्वारा जांच करने पर पाया कि आवंटी गैर कृषि कार्य करता है एवं बम्बई में रहता है, जिसे जिला कलेक्टर ने तहसीलदार के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) स्वीकार कर किया गया

आवंटन को निरस्त किया है। उसे आवंटन की जानकारी वर्ष 2004 में ही हुई है। जब आवंटी के द्वारा भूमि का बेचान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 दाखू देवी को किया गया है। कब्जा काश्त वर्षो से उसी का चला आ रहा है। अतः उनकी अपील को स्वीकार करते हुये विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 6–9–1982 को निरस्त कर विद्वान जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 30–3–1981 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वर्ष 1968 में उनके पिता को भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी ग्राम बिजोवा का ही निवासी है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है। नियम–14(4) का प्रार्थना पत्र वर्ष 1979 में प्रस्तुत किया गया है कि आवंटी का मुख्य कार्य खेती नहीं है एवं वह बम्बई में रहता है। विद्वान जिला कलेक्टर के द्वारा आवंटी को गांव के पते पर ही तामिल करवाई गई है। आवंटी के द्वारा किसी तथ्य को नहीं छिपाया गया है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 6–9–1982 एक अन्तिम आदेश है। इस आदेश की अपील राज्य सरकार ने नहीं की है। अपीलान्ट के हैसीयत टेसपासर की है। जिन्हें विधिवत आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकार नही है। प्रस्तुत मामले में अन्तर्गत नियम–14(4) का प्रकरण नहीं बनता है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी के यहां पक्षकार राज्य सरकार थी। और सरकार ने इसकी कोई अपील नहीं की है। अपीलान्ट के धारा–96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी नहीं लगाया गया है। जिससे अपील डिफेक्टीव है एवं खारिज योग्य है। अपील 22 वर्षो के बाद प्रस्तुत की गयी है जिससे वह मियाद बाहर है। झूंठे तथ्य प्रस्तुत कर मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तेजराज को गैर खातेदारी से खातेदारी मिलने के बाद ही भूमि का बेचान किया है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय जांच की जाती है। आवंटी तेजराज के आवंटन को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। खातेदारी मिलने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय से अपने हकों से तय करवाया जा सकता है। आवंटन मजमेआम मे किया जाता है एवं सबकी उपस्थिति में ही आवंटन किया जाता है। धारा–91 का नोटिस संवत 2040 का है। अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत नियम–41(27) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करते हुये विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 6–9–1982 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जावें। अपने पक्ष में R.R.T. 2008(2) Page-834, R.R.T. 2006–7 Page-382, R.R.T. 2016(2) Page-756 प्रस्तुत की है।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7– जिला कलेक्टर को नियम–14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें यह अंकित किया है कि ग्राम बिजोवा की मजमेआम में ग्राम की जमाबन्दी को संज्ञात हुआ है कि तेजराज पुत्र अन्नराज खसरा नम्बर–360/3 में रकबा 5 बीघा का आवंटन किया गया था जो उनका मुख्य व्यवसाय खेती नहीं होना एवं वर्तमान में बम्बई में निवास करने से आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि आवंटन के बाद कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की दिनांक 6–12–1978 की यह रिपोर्ट की हुई है कि मौका पर तेजराज पुत्र अन्नराज का कब्जा काश्त है। आवंटन हेतु आवंटी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तत की गयी है। प्रार्थना पत्र के अनुसार आवंटी ने स्वयं को बिजोवा का निवासी होना बताया है एवं अपना पेशा खेती करना बताया है। इस प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट की है कि प्रार्थी ग्राम बिजोवा का रहने वाला है। प्रार्थी बालिग है। प्रार्थी खेती का कार्य करना चाहता है। प्रार्थी के संयुक्त परिवार में खुद के नाम से कोई भूमि नहीं है। प्रार्थी ग्राम बिजोवा में खसरा नम्बर–360/3 में भूमि चाहता है। खसरा नम्बर–360 काबिल काश्त भूमि है एवं इस भूमि का आवंटन करने में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। खसरा नम्बर–360/3 में से 5 बीघा आवंटन करने का आदेश दिया है। भूमि आवंटन होने के बाद उसे गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये एवं आवंटी की मृत्यु हो जाने के कारण विरासत का नामान्तरकरण उसके पुत्रों के नाम दर्ज किया गया एवं भूमि का बेचान भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 को कर दिया गया। विद्वान जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा जो आवंटी को नोटिस जारी किया है उसमें बिजोवा के पते पर ही जारी होना पाया जाता है। नियम विरूद्ध आवंटन में यह अंकित किया है कि मुख्य धंधा खेती नहीं है। तामिल कुनिन्दा के द्वारा तामिल रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उसमें यह अंकित है कि तेजराज पुत्र अन्नराज बम्बई गये हुये हैं। खसरा गिरदावरी संवत 2034 से 2035 के अनुसार तिल, मूंग आदि की काश्त होना पाया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या–725 दिनांक 6–12–1978 से खातेदारी का नाम नामान्तरकरण भी दर्ज किया जाना पाया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–5(26ए) में भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा दी गयी है, वह मूलतः इस प्रकार से हैं :–

> **(26-क) ''भूमिहीन व्यक्ति''** से कृषक व्यक्ति का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो वैयक्तिक रूप से भूमि को जोतता है या जिससे वैयक्तिक रूप से भूमि को जोतने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकी है, किन्तु जो चाहे उसके स्वयं के

> नाम से या उसके अविभक्त कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के नाम से कोई भूमि धारण नहीं करता हो या कोई खंड धारण करता हो।

8– इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति भूमिहीन व्यक्ति माना जायेगा, जो व्यक्तिगत रूप से भूमि को जोतता है या जिससे भूमि को जोतने की युक्ति युक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है।

9– इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970 में भूमिहीन कृषक की परिभाषा इस प्रकार से दी गयी है :–

> **(3-ख) ''भूमिहीन कृषक''** से तात्पर्य राजस्थान में निवास करने वाले सद्भावी कृषक अथवा खेतीहर मजदूर और जो खेतीहर या व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है, और जिसका मुख्य व्यवसाय खेती अथवा खेती पर निर्भर रहने वाला अन्य कोई व्यवसाय है, और ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कही भी भूमि धारण नहीं कर सकता हो, और यदि धारण करता हो तो ऐसी भूमि, जिसमें उसे पूर्व में आवंटित की गयी भूमि भी सम्मिलित है, नियम–12 में निर्धारित क्षेत्र से कम हो।

10– इन नियमों के नियम–11 में आवंटन के लिये जो पद्धति दी गयी है उसकी पहली प्राथमिकता यह है कि भूमि केवल किसी भूमिहीन व्यक्ति को और जिस सीमा तक भूमिहीन है, उसे दी जायेगी। इन्हें नियमों के नियम–14(4) में यह प्रावधान है कि उप खण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा नियम–21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रस्ताव से या किसी आवेदन पर रदद करने पर जिला कलेक्टर को सकती है, या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा आवंटी ने आवंटन की शर्तो को भंग किया गया हो।

11– आवंटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि उसने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि वह बिजोवा का निवासी है और उसका पेशा खेती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि वह उसी गांव का रहने वाला है एवं खेती का कार्य करना चाहता है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा यह आवंटन मजमेआम में ही जिस ग्राम में भूमि स्थित है, उसी ग्राम में किया जा सकता है। आवंटी के द्वारा भूमि का कब्जा लिया जाकर उस पर काश्त करना भी खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता है। यदि आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की जाती तो उसको खातेदारी अधिकार भी नहीं दिये जा सकते थे। अपीलान्ट की हैसीयत एक

ट्रेसपासर की है। अपीलान्ट के द्वारा वक्त आवंटन किसी प्रकार का आवेदन पत्र भी पेश होना नहीं पाया जाता है जिससे इस तथ्य की जांच की जा सके की प्राथमिकता से उसे आवंटन किया जाना चाहिये। आवंटन खसरा का कुल रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा है। इसमें से कुल मात्र 5 बीघा भूमि का ही आवंटन किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा ही राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गयी थी। एवं आगे अपील उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी। ट्रेसपासर को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपने न्यायिक दृष्टान्त R.R.T. 2008(2) Page-834 में अभिनिर्धारित किया है किखातेदारी अधिकार मिलने के बाद नियम–14(4) के अन्तर्गत किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त R.R.T. 2016(2) Page-756 में अभिनिर्धारित किया है कि आवंटन का निरस्तीकरण युक्तियुक्त विलम्ब के बाद नहीं किया जा सकता है। तहसील द्वारा ऐसी कौनसी जांच की गयी एवं इन तथ्यों पर पाया गया कि आवंटी का मुख्य पेशा काश्तकारी नहीं है एवं वह बम्बई में रहता है। ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नही है। केवल मात्र मजमेआम में सुनी सुनाई बातों पर निष्कर्ष निकाला जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आवेदन पत्र में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि वह ग्राम बिजोवा का निवासी है एवं वह खेती करना चाहता है। यदि किसी व्यक्ति को तथ्य छिपाकर के दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा आवंटन करवाया जाता है तो ऐसे आवंटन को नियम–14(4) के तहत निरस्त किया जा सकता है। अतः इस अपील में कोई सार नहीं है।

12– फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 6–9–1982 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

अपील / एल.आर. / 2062 / 2004 / पाली

नाथाराम (मृतक) जरिये वारिसान बनाम रतनलाल उर्फ रतन कुमार व अन्य